आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, ______

सा.का.नि _____(अ) – राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, महानिदेशक, (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, महानिदेशक, (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 कहा जा सकता है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, महानिदेशक, (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2020 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्: -

अनुसूची

पद का नाम:	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद अथवा अचयन पद**	**सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	01 (2024) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, अनुसचिवीय राजपत्रित समूह 'क' पद	टिप्पणी: वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 17 (225000/- रूपये)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पध्दतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता**
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (100%)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो इसकी संरचना क्या है।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियाँ में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: (1) महा निदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चयन के लिए अनुलग्नक में यथा निर्दिष्ट 4 श्रेणियों के तहत आने वाली सेवाओं के और विशेष सचिव या समतुल्य (स्तर 16) और	लागू नहीं होता चयन समिति आवेदकों के संबंध में समग्र मूल्यांकन करेगी, जिसमें शामिल होंगे	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

अपर सचिव या समतुल्य (स्तर 15) के पदों पर सेवा करने वाले अधिकारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है जिनकी आयु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (2) पद के लिए आवेदन करने वाले अधिकारी के संबंध में कैडर क्लीयरेंस/एनओसी, विजिलेंस क्लीयरेंस और पिछले 10 वर्षों के दंड विवरण के साथ आवेदन उचित माध्यम से विधिवत अग्रेषित किए जाने चाहिए । (3) चयन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें सीईओ, नीति आयोग, सचिव कार्मिक और प्रशिक्षण विकास, सचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और मंत्री, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुमोदन से मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाने वाला विषय में एक प्रतिष्ठित बाहरी विशेषज्ञ शामिल होगा जो निम्नलिखित इनपुट के आधार पर अधिकारियों का समग्र मूल्यांकन करेगा। (क) उम्मीदवारों के पिछले 5 वर्षों के एपीएआर का आंकलन (ख) मल्टी सोर्स फ़ीडबैक (ग) संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के आवेदन में उनके विजन और कार्यनीति सहित उनके अनुभव और उपलब्धियों का विवरण। (घ) यदि आवश्यक हो तो, व्यक्तिगत साक्षात्कार (4) तदनुसार चयन समिति द्वारा योग्यता के आधार पर एक पैनल गठित किया जाएगा। चयन समिति की सिफारिशें डीजी, सीपीडब्ल्यूडी के पद पर अधिकारी के चयन के लिए एसीसी के विचार/अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएंगी। (5) प्रतिनियुक्ति का प्रारंभिक कार्यकाल 02 वर्ष का होगा, जिसे केस-टू-केस आधार पर बढ़ाया जा सकेगा। नोट: महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी के पद पर प्रतिनियुक्ति के अन्य नियम और शर्तें समय-समय पर य़था संशोधित डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीओपीटी-1667555503571 दिनांक 08 सितंबर 2022 द्वारा शासित होंगी।	1. सीईओ, नीति आयोग 2. सचिव, डीओपी&टी 3. सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 4. सचिव, सड़क परिवहन और रार्जमार्ग मंत्रालय 5. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री के अनुमोदन से एक प्रतिष्ठित बाहरी विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाएगा।)	

फ़ाइल संख्या 28018/3/2023-ई डब्ल्यू-I

(दीपक अग्रवाल)

संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि _____ दिनांक ___________ द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

<u>**अनुलग्नक**</u>

<u>सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक के पद के लिए आवेदन करने हेतु पात्र अधिकारियों की श्रेणियां</u>

श्रेणी I-सिविल इंजीनियरी

i. केंद्रीय इंजीनियरी सेवा
ii. केंद्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क), ग्रुप-ए (सिविल इंजीनियरी पद)
iii. सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा
iv. भारतीय इंजीनियरी रक्षा सेवा
v. सैन्य इंजीनियरी सेवाएँ (एमईएस)
vi. केंद्रीय जल इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा
vii. भारतीय कौशल विकास सेवा
viii. भारतीय रेलवे इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसई)

श्रेणी II-मैकेनिकल इंजीनियरी

i. जीएसआई इंजीनियरी सेवा समूह 'ए'
ii. भारतीय इंजीनियरी रक्षा सेवा
iii. भारतीय नौसेना आयुध सेवा
iv. भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा
v. केंद्रीय जल इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा
vi. रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा/एसएसओ-II
vii. सेंट्रल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरी सेवा
viii. सेंट्रल पावर इंजीनियरी सर्विस ग्रुप 'ए'
ix. सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा
x. भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियरी सेवा (आईआरएसएमई) ग्रुप 'ए'

श्रेणी III-इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी

i. सेंट्रल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरी सेवा
ii. भारतीय इंजीनियरी रक्षा सेवा
iii. भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा
iv. सेंट्रल पावर इंजीनियरी सर्विस ग्रुप 'ए'
v. भारतीय नौसेना आयुध सेवा
vi. रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा/एसएसओ-II (इलेक्ट्रिकल)
vii. भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसईई) ग्रुप 'ए'

श्रेणी IV-वास्तुकला

i. केंद्रीय वास्तुकला सेवा

****